


04.06.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या की ओर से परोकार सरकार उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार पिण्डवाडा के आदेश समर्पण क्रमांक/राजस्व/2019/53-54 दिनांक 17.01.2019 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

